भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2090

जिसका उत्तर 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया गया

बैंक एनपीए

2090. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान कारपोरेट तथा पूंजीपतियों को दिए गए ऋणों, गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) तथा ऋणों की वसूली का ब्यौरा क्या है;

(ख) वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए को कम करने तथा नए एनपीए को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा प्रस्तावित विशेष अभियान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण नीति पर पुनर्विचार के लिए मंत्रालय के समक्ष कोई योजना है तथा क्या ऋण मूल्यांकन कौशलों को सुदृढ़ करने, ऋण-जोखिम प्रबंधन नीतियों को लागू करने, ऋण संकेन्द्रणों को कम करने आदि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एनपीए को आगामी दो से तीन वर्षों के अंदर उस सीमा में रखने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बकाया अग्रिमों, सकल एनपीए तथा उद्योग श्रेणी के अंतर्गत ऋणों की वसूली संबंधी गत पांच वर्ष का ब्यौरा **अनुबंध** में हैं।

(ख) से (घ): ऋण खाते कई कारकों के कारण अनुप्रयोज्य हो जाते हैं, जो समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकते हैं अथवा क्षेत्र अथवा फर्म विशिष्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसे कारकों के समाधान हेतु समय-समय पर उपयुक्त नीतिगत तथा विनियामकीय उपाय किए जाते हैं, सरकार द्वारा एनपीए के स्तर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। एनपीए को नियंत्रण में रखना तथा विवेकपूर्ण ऋण नीति का अनुसरण करना बैंकों द्वारा किया जाने वाला एक निरन्तर प्रयास है।

आरबीआई के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक बैंक की एक बोर्ड अनुमोदित ऋण नीति होती है तथा उसकी बैंकों के बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। सरकार तथा आरबीआई द्वारा ऋण मूल्यांकन कौशल को सुदृढ़ बनाने, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाने, एक क्षेत्र विशेष को बहुतायत ऋण देने में कमी करने, इत्यादि, हामीदारी अंकन में सुधार करने, एनपीए में कमी के लिए और वसूली करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) *हामीदारी:*

(1) बैंकों में प्रौद्योगिकी तथा डाटा संचालित जोखिम अंकन तथा संवीक्षा प्रणाली आरंभ करना, जिसमें तृतीय पक्ष आंकड़ों तथा गैर-वित्तीय जोखिम घटकों को व्यापक रूप से शामिल किया जाता है तथा इसे उच्च जोखिम वाले मामलों की उच्चतर संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाता है;

(2) बैंकों में जोखिम पहचान संरचना आरंभ करना और जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण का बेहतर अनुपालन करना; और

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में अब संवितरण, समूह तुलन-पत्र की समीक्षा और नकदी प्रवाह की रिंग-फेंसिंग करना, परियोजना वित्तपोषण में गैर-निधि और अंतिम जोखिम मूल्यांकन से पूर्व अपेक्षित स्वीकृत/अनुमोदन और लिंकेज के लिए अधिदेश दिया गया है।

(4) बैंक की बहियों में बहुतायत ऋण जोखिम का समाधान करने हेतु आरबीआई ने बैंक की ऋण नीति के भाग के रूप में क्षेत्र-वार तथा राष्ट्र-वार सीमा के अतिरिक्त अपने बड़े एक्सपोजर ढांचे के अंतर्गत एकल/समूह उधारकर्ता सीमा को निर्धारित किया है।

(ii) *ऋणों की निगरानी:*

(1) बैंकों में व्यापक स्वचलित आरंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) आरंभ करना, 80 से अधिक ईडब्ल्यूएस ट्रिगर वाले 8 पीएसबी, दबाव की पहचान सक्रियता से करने तथा चूक के एनपीए में बदलने को कम करने के लिए तृतीय पक्ष आंकड़ों तथा वर्क फ्लो का उपयोग समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई के लिए करते हैं;

(2) पूर्ववर्ती दबावग्रस्त आस्ति समाधान संरचना का पर्याप्त विस्तार और दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में आरबीआई के द्वारा दिनांक 07.06.2019 को जारी संशोधित विवेकपूर्ण ढांचे के माध्यम से समाधान योजना को आरंभ में अपनाने को प्रोत्साहित करना;

(3) 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय और क्षेत्र विषयक ज्ञान रखने वाली विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों को कार्य पर लगाया गया;

(4) बड़े मूल्य के दबावग्रस्त खातों के संबंध में चूक रोकने, वसूली की व्यवस्था करने तथा समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल स्थापित किए गए।

(iii) *समाधान और वसूली:*

(1) ऋण संस्कृति में निम्नलिखित को लागू करके परिवर्तन किया गया है–

(क) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से ऋणदाताओं और उधारकर्ता के संबंधों में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, प्रवर्तकों/स्वामियों से चूककर्ता कंपनी का नियंत्रण वापस लिया गया और इरादतन चूककर्ताओं को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें बाजार से निधियां जुटाने से रोका गया है;

(ख) उधारकर्ता द्वारा आस्ति का ब्यौरा नहीं दिए जाने पर तीन माह के कारावास का प्रावधान करने और उधारदाता के लिए बंधक परिसंपत्ति का 30 दिनों के अंदर कब्जा लेने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष, 2016 में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है; और

(2) दबावग्रस्त आस्तियों की ऑन-लाइन नीलामी के लिए eBक्रय प्लेटफार्म आरंभ करने के साथ-साथ एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समयबद्ध और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए एंडटूएंड ओटीएस प्लेटफार्म और पोर्टल को लागू किया गया।

आर्थिक मंदी, महामारी के प्रभाव तथा महामारी के पश्चात् रिकवरी हेतु सहायता की आवश्यकता के संदर्भ में सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के अंतर्गत व्यापक उपाय किए गए हैं तथा ऋण चुकाने के भार तथा बैंक की लाभप्रदत्ता को सुनिश्चित करते हुए तथा अशोध्य ऋणों को कम करके कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने और रियल क्षेत्र के कार्यकलापों को पुन: आरंभ करने को सुकर बनाने हेतु उधारकर्ताओं पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा विनियामकीय पैकेज लाए गए, पुनरुज्जीवन संरचना की गई तथा मौद्रिक नीतिगत कदम उठाए गए। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

1. आरबीआई ने उधारकर्ताओं को उनके ऋण को एनपीए के रूप में निम्नतर किए बिना पुनर्संरचना के रूप में समुचित राहत प्रदान करने के लिए उधारदात्री संस्थाओं को कारपोरेट तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को उपयुक्त ऋण देने के लिए समाधान योजना को लागू करने के लिए उधारकर्ताओं के लिए एक संरचना उपलब्ध कराई है। ऐसी पुनर्संरचना में उधारकर्ताओं को विभिन्न छूट के रूप में चुकाई जाने वाली पूरी राशि, किस्त की राशि तथा ब्याज की दर को परिवर्तित करना, अधिस्थगन की सुविधा देना और/या भुगतान

की अवशिष्ट अवधि, दंडात्मक ब्याज और प्रभार को माफ करना, लंबित भुगतान समय-सीमा के साथ संचित ब्याज को नए ऋण में परिवर्तित करना तथा अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करना शामिल है।

2. 26 क्षेत्र, जिनकी पहचान कामथ समिति ने वैसे क्षेत्र के रूप में की है जिन पर महामारी का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है, के संबंध में आरबीआई ने उपर्युक्त समाधान योजनाओं के लिए कुछेक वित्तीय मानदण्डों की सीमाएं निर्धारित की हैं। ये सीमाएं मूलत: उधार देने वाले बैंकों, जैसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सामान्यतया अपनाए जाने वाले मानदण्ड की तुलना में लचीली हैं और इनके कारण विस्तृत/व्यापक पुनर्संरचना द्वारा क्षेत्र विशिष्ट उच्चतर राहत उपलब्ध हुई है।
3. बेंचमार्क पालिसी दर में कमी किए जाने तथा आरबीआई द्वारा मार्च से दिसम्बर 2020 के दौरान एससीबी के नए रूपया ऋण के संबंध में मासिक भारित औसत उधार दर में 1.14% की कमी करने तथा इसी अवधि के दौरान उनके बकाया रूपया ऋण के संबंध में 0.73% की कमी किए जाने के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं के ऋण चुकाने के भार में पर्याप्त कमी आई है।
4. सरकार द्वारा कोविड-19 को एक अप्रत्याशित घटना मानते हुए रियल एस्टेट विनियामकीय प्राधिकरणों के अंतर्गत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण तथा उनके पूरा होने की तिथि को बढ़ाने के लिए एक परामर्श जारी किया गया था और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने की तिथि को बढ़ाने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है।
5. इसके अलावा, एमएसएमई के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
   क. पूरे एमएसएमई क्षेत्र को क्षेत्र विशिष्ट राहत प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा 25 करोड़ रुपए तक के ऋण एक्सपोजर के साथ एमएसएमई के लिए उदार पुनर्संरचना योजना लागू की गई है।
   ख. दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार निधि आधारित बकाया राशि के 20% अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक की आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना, जिसके लिए 100% सरकारी गारंटी दी गई है, आरंभ की गई है।
   ग. वस्त्र क्षेत्र की इकाईयों, उन इकाईयों जिनके खाते अनप्रयोज्य आस्ति हो गए हैं, सहित दबावग्रस्त एमएसएमई इकाईयों के प्रवर्त्तकों को उक्त इकाई में इक्विटी/ अर्द्ध-इक्विटी/अधीनस्थ ऋण के रूप में पूंजी निवेश के लिए ऋण तक पहुंच में समर्थ बनाने हेतु अधीनस्थ उधार के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है।

*****

अनुबंध

'बैंक एनपीए' के संबंध में 8.3.2021 का लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2090

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत उद्योगों का बकाया अग्रिम, सकल एनपीए तथा एनपीए में कमी (वास्तविक वसूली के कारण)

राशि करोड़ रुपए में

	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार	31.12.2020 की स्थिति के अनुसार
उद्योग - बकाया अग्रिम	29,98,424	29,45,792	31,29,512	32,93,638	32,52,801	31,65,649
उद्योग - सकल एनपीए	3,86,377	5,25,898	6,61,515	5,48,788	4,42,323	3,41,634
उद्योग - वसूलियां (वित्त वर्ष में)	22,833	34,644	37,963	73,313	62,102	25,917*

स्रोतः स्थलेत्तर प्रतिफल, घरेलू परिचालन

*दिनांक 31.12.2020 को समाप्त 9 माह के लिए आंकड़ें।

*****